

जा रही है। जिन्होंने इमारती लकड़ी ले जाने के लिए उदार परिवहन नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

- राष्ट्रीय बांस मिशन : कृषि आय के अनुपूरक के रूप में, इस क्षेत्र के मूल्य श्रेष्ठला आणारित समय विकास के लिए केन्द्रीय बंट 2018-19 में राष्ट्रीय बांस मिशन की घोषणा की गई है।

- मधुमधर्यी पालन : किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता और शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।

- मधुमधर्यी पालन : किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता और शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है।

गतिविधि के रूप में बनाना है। नए दिशा – निर्देश, कृषि-उद्यम और इन्क्यूबेशन सुविधाओं को बढ़ावा देने के अलावा उत्पादन व उत्पादनोंपरत आधारभूत सुविधा के निर्माण के लिए अधिक आवश्यन उपलब्ध कराते हैं।

## 7. कृषि में पूँजीगत निवेश

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कोष निधि :

1. एपी मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं।

2. देश में सुख्ख सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो सिंचाई फंड।

• है— राष्ट्रीय डेयरी योजना –1 (एनडीपी-1), उद्यमिता विकास स्कीम।

• मातिस्थकी : मातिस्थकी क्षेत्र में अपार संभावना को देखते हुए जमीन और समुद्रीय दोनों जगहों पर मछली उत्पादन पर निशेष जोर देने वाली बहुआयामी गतिविधियों के साथ नीलीक्रांति की जा रही है।

## 6. कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए :-

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरक्षीवाई) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पुनरुद्धार अर्थात् (आरक्षीवाई-रप्तार) के रूप में तीन वर्षों तक जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है जिसका उद्देश्य कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देना है। यह योजना के समय विकास के कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के समय विकास के साथ-साथ बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभकारी से लाभकारी आर्थिक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से लाभकारी आर्थिक
3. मरीन मत्यसिकी एवं मत्य पालन क्षेत्र में अवसरणों सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार, सहकारी समितियों, व्यक्तिगत उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करने के लिए मत्य पालन और एव्हाकल्वर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एफआईडीएफ) का निर्माण किया गया है।
  4. डेयरी प्रस्तरकरण और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडी) एक गुश्शल दृध्य खरीद प्रणाली के निर्माण के लिए ग्रामीण रस्तर पर प्रस्तरकरण और शीतल बुनियादी ढांचे की स्थापना।
  5. समेकित भेड़, बकरी, सुअर और कुकुक्ट विकास कोष उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए भेड़ बकरी, सुअर और कुकुक्ट के एकीकृत विकास, मुर्गी पालन के आधुनिकीकरण और बकरी, भेड़ और सुअर के लिए जिला स्तर पर सेमेन केन्द्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण।

**किसान काल सेन्टर - 1800-180-1551 (नि-शुल्क सेवा)**

टिकिसान सहायता कोषांग : 7632996429  
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें  
परियोजना निवेशक, आत्मा

जिला संघर्षत कृषि कार्यालय लातेहर



कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड

श्री रमेश दास

माननीय मुख्यमंत्री

झारखण्ड शरण

श्री नरेन्द्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

भारत

# कृषक वर्त्यापन कार्यशाला

किसानों की आय वैगुणी करने के लिए कार्यनीति



झारखण्ड राज्य के सभी किसान भाइयों को कृषक वर्त्यापन की हार्दिक चुभकासनांते

निवेशक :

परियोजना निवेशक, आत्मा, लातेहर  
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड

## सात सूत्री कार्यनीति

माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने एक लक्ष्य रखा है अर्थात् वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सात सूत्री कार्यनीति का समर्थन भी किया है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री जी की सात सूत्री

### कार्यनीति :-

1. "प्रति बृद्ध अधिक फसल" प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयाप्त बजट के साथ सिंचाई पर विशेष जोर देना।

2. प्रत्येक खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य पर आधारित गुणवत्ता युक्त बीजों एवं पोषक तत्वों का प्रावधान करना।

3. फसल पश्चात हानियों को रोकने के लिए भांडारणारों एवं कोल्ड चेन के निर्माण में अतिथिक निवेश करना।

4. खाद्य प्रसंस्करण के जारी मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना।

5. राष्ट्रीय कृषि मण्डी का सुरुन विसंगतियों का निरकरण और 585 महियों में ई-प्लेटफर्म की ख्यापना।

6. उचित कीमत पर जोखिमों को कम करने के लिए नई फसल बीमा स्कीम को शुरू करना।

7. कुकुट पालन, मधुवर्षी पालन और मर्झ पालन जैसे सहायक क्रियाकलापों को बढ़ावा देना।

### 2. खेती की लागत में कमी के लिए :-

किसानों के लिए ज्ञादा लाभार्थ तारतम्य बढ़ाने के लिए सरकार इस समय विभिन्न स्कीमों लागू कर रही है।

### 1. उत्पादकता लाभ के माध्यम से उच्च

#### उत्पादन के लिए :-

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफस्ऎस्ऎम)– मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, पोषक तत्वों से युक्त मोटे अनाज, वाणिज फसलों। बागवानी समौकित विकास मिशन (एमआईडीएच)– बागवानी फसलों की उच्च वृद्धि दर।

तिलहन और औंचलपाम के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमओओपी) – तिलहन और औंचलपाम के उत्पादन में वृद्धि के लिए एनएमओओपी (वर्ष 2014–15 में शुरू किया गया)।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन – स्वदेशी पशु और भेंसों के जीन पूल के विकास और बढ़ी हुई उत्पादकता संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन (दिसंबर 2014 में शुरू किया गया)।

राष्ट्रीय पशुन मिशन – राष्ट्रीय पशुन मिशन 2014–15 में शुरू की गई। पशुधन, विशेष रूप से छोटे पशु (भेड़ / बकरी, मुर्गी आदि) एवं गुणवत्ता वाले फौड़ और चारा की पर्याप्त उपलब्धता के साथ–साथ विकास सुनिश्चित करने के लिए।

नीली क्रांति – समेकित इन लैड तथा समुद्री मरुस्य पालन संसाधनों का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर 2015 में मरुस्य पालन विकास के लिए नीली क्रांति स्कीम की घोषणा की।

एक नया मॉडल- कृषि उत्पाद एवं पशुन मार्केटिंग (उन्नयन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को 24 अप्रैल, 2017 में जारी किया गया है।

इसमें निजी मार्केट स्थापित करने, सीधी मार्केटिंग, किसान उपभोक्ता मार्केट, विशेष वर्चु मार्केट, वेअरहाउस कोल्ड स्टोरेज या ऐसी किसी इमारत को मार्केट सब थोर्डेस के तौर पर घोषित करने संबंधी प्रावधानों को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।

मूदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) (2 साल तक)– उर्दक का समझदारी से और

अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। नीम कोटेड यूरिया (एनसीयू) (यूनिवर्सल) – यूरिया के प्रयोग को विधिमित करने, फसल में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने तथा

अनावश्यक उर्दक अनुप्रयोग की लागत कम करने के लिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमके एसवाई)– सिंचाई आपूर्ति श्रूखला में खायी सम्पादन मुहेया करने के लिए जिसमें जल खोल वितरण नेटवर्क और खेत स्तर पर अनुप्रयोग शामिल है, हर खेत को पानी आदर्श वायव के साथ सूक्ष्म सिंचाई घटक (12 मिलियन हेक्टेयर / वार्षिक लक्ष्य रखा है)।

प्रम्परागत कृषि योजना (पीकेवीवाई)– जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एवं इससे जैविक मृदा स्वास्थ्य तथा जैविक अंश बेहतर होगे। इससे किसान की कुल आमदनी बढ़ेगी तथा बेहतर मूल्य मिलेगी।

मार्किट इन्टरवेस्टन स्कीम (एमआईएस) उन संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तिलहन, दालों तथा कपास की खरीद के दूरीय एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।

कृषि एवं बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए है जो नाशीवंत प्रकृति के हैं और जिन्हें पीएसएस के तहत करव नहीं किया गया है।

4. जोखिम प्रबंधन एवं सतत प्रक्रियाएँ:- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) एवं पुर्ण संरचित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आर डब्लू. सी. आई एस) फसल चक्र के सभी चरणों में बीमा करव उपलब्ध कराता है इसमें कृषि निधिरित सामलों में फसल आने के बाद के जोखिम भी शामिल है और ये बहुत कम ग्रीष्मियम दर पर किसानों को उपलब्ध है।

पुर्वतार में निशन आर्गनिक खेती एमओवीसीडी (एनई) देश के पूर्वतार क्षेत्र में जैविक खेती की समता को देखते हुए यह निशन शुल्क किया गया है।

5. सदब्द क्रियाकलाप :- फसल के साथ, खेती की जमीन पर कृषानुपरण को ग्रोस्ट्राहित करने के लिए "हर मैड पर पैड" स्कीम वर्ष 2016–17 में शुरू की गई। यह स्कीम उन राज्यों में लागू की

वेयरहाउसिंग की व्यवस्था तथा फसल के बाद कम व्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना ताकि किसान को मुश्यमान में अपना उत्पादन न बेचना पड़े तथा नेगेशिएलरिस्टिक के लिए अपने उत्पाद को वेयरहाउस में रखने के लिए किसानों को ग्रोस्ट्राहित करना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमके एसवाई)– सिंचाई आपूर्ति श्रूखला में खायी सम्पादन मुहेया करने के लिए जिसमें जल खोल वितरण नेटवर्क और खेत स्तर पर अनुप्रयोग शामिल है, हर खेत को पानी आदर्श वायव के साथ सूक्ष्म समर्थन मूल्य (एमएसपी) कुछ फसलों के लिए अधिसूचित किया गया है।

संबंधित राज्य सरकार के अनुरोध पर मूल्य समर्थन स्कीम (पीएसएस) के तहत तिलहन, दालों तथा कपास की खरीद के दूरीय एजेंसियों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है।

### 3. तामकारी प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए

राष्ट्रीय कृषि मिशन (ई–नाम) किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर लाभ दिलाने के लिए वास्तविक समय के अनुसार बेहतर मूल्य डिस्कवरी, पारदर्शिता लाकर और प्रतियोगी बनाना सुनिश्चित करके कृषि बाजार में क्रांति लाने के लिए यह स्कीम एक नवीन मार्केट प्रक्रिया है। इससे एक राष्ट्र एक बाजार की ओर बढ़ेगो।

एक नया मॉडल- कृषि उत्पाद एवं पशुन मार्केटिंग (उन्नयन एवं सरलीकरण) अधिनियम, 2017 को 24 अप्रैल, 2017 में जारी किया गया है।

इसमें निजी मार्केट स्थापित करने, सीधी मार्केटिंग, किसान उपभोक्ता मार्केट, विशेष वर्चु मार्केट, वेअरहाउस कोल्ड स्टोरेज या ऐसी किसी इमारत को मार्केट सब थोर्डेस के तौर पर घोषित करने संबंधी प्रावधानों को अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना। नीम कोटेड यूरिया (एनसीयू) (यूनिवर्सल) – यूरिया के प्रयोग को विधिमित करने, फसल में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ाने तथा